

वर्ष 2019 पुस्तक क्र. सं. 0389318 क्षेत्र वाहन सं. RJ14 TE 3958
दिनांक 11-7-19 समय 3:00 ए. एम./पी. एम. थाना राजस्थान पुलिस
वाहन वर्ग 153 स्थान जयपुर ने बावर्दी उक्त वाहन को चैक किया। वाहन चालक
मुझ आबुल्लास पद ASI पुत्र श्री मंगल सिंह ने वाहन उपयोग करते
श्री रमेश कुमार निवासी 207 एम.वी.एक्ट 1988 का दुर्घटना हादसा
उम्र 03 समय एम.वी.एक्ट 1988/नियमों का उल्लंघन किया है:-
207 एम.वी.एक्ट 1988 के अधीन
कई कागजात नहीं लाना वाहन को
207 एम.वी.एक्ट 1988 के अधीन

(1) नोपार्किंग/रोंगपार्किंग	122/177
(2) लाल बत्ती क्रोस करना	119/177
(3) बिना नम्बर प्लेट/बिना नम्बर	50सी/177
(4) बिना लाइसेन्स	3/181
(5) रोंग साइड/वन वे	121/177

उपरोक्त वाहन चालक के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम 1988 / राज. मोटर यान नियम 1990 के अधीन
अभियोग चलाया जाना है। अतः वाहन को 207 एम.वी.एक्ट 1988 के अन्तर्गत जब्त किया जाकर जरिए कानि.
श्री राजेश कुमार नम्बर 3855 के थाना राजस्थान पुलिस

में सुरक्षार्थ रवाना किया जाता है।
कब्जे में लिए गए दस्तावेज
1. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैधता 4 2. परमिट वैधता 4 वैधता
3. ड्राइविंग लाइसेन्स वैधता 4 से दिनांक 4
उपरोक्त जब्त दस्तावेज आप 15 दिवस के भीतर अर्थात् चालान दिनांक 4 में करवाकर प्राप्त कर सकते हैं।
तक अपने चालान का प्रशमन (Composition) स्थान 4
15 दिन के पश्चात् चालान सम्बन्धित न्यायालय में पेश किया जायेगा।

हस्ताक्षर चैकिंग अधिकारी

उल्लंघनकर्ता के हस्ताक्षर

राजस्थान पुलिस

न्यायालय में उपस्थित हेतु बन्ध-पत्र
(धारा 170 सी. आर. पी. सी.) (नियम 262)

मैं निवासी 3425 के उल्लंघन के क्रम में
तथा यातायात नियम के मजिस्ट्रेट के समक्ष उपसजात होने के लिए अपेक्षित किये जाने पर
एतद्वारा अपने आप को आबद्ध करता हूँ कि मैं अपने विरुद्ध यातायात नियम के उल्लंघन की जांच के लिए
के न्यायालय में ता. 18-7-19 को 10 AM बजे एवं तत्पश्चात् हर नियुक्त तारीख पेशी पर उक्त
आरोप का उत्तर देने के लिए एवं परीक्षण के लिए उपसजात होऊंगा, तथा मैं अपने को आबद्ध करता हूँ कि यदि इसमें
व्यतिक्रम करूँ तो मेरी 500 रुपये की राशि सरकार को समपहृत हो जायेगी।
हस्ताक्षर उल्लंघनकर्ता के हस्ताक्षर